

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-06 / स्क्रेपिंग(RVSF)-11-03 / 2025

प्रेषक,

आशुतोष द्विवेदी, भा.प्र.से.
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

Kalahanu Bothra Manufacturers Pvt. Ltd.
Add.- Kala Bhawan Beni Babus Garden,
Rajendrapath, Laljitola, Dist.-Patna
Email-rahulbothra12@gmail.com

पटना, दिनांक:-

विषय:- पटना जिला में रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा की स्थापना हेतु औपबंधिक स्वीकृति दिए जाने के संबंध में।

प्रसंग:- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0-653 (अ) दिनांक-23.09.2021

महाशय,

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0-653 (अ) दिनांक-23.09.2021 द्वारा अधिसूचित मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 को परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-659 दिनांक-01.02.2022 द्वारा यथार्थिति बिहार राज्य में लागू किया गया है।

रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा की स्थापना हेतु आपके आवेदन के साथ समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों के आधार पर उपर्युक्त अधिसूचना में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत पटना जिले हेतु औपबंधिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है। यह स्वीकृति उक्त नियमावली के नियम-05 एवं 06 तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना की अधिसूचना सं0-14 दिनांक-12.05.2022 में निहित शर्तों के अधीन दी जाती है।

आपके द्वारा समर्पित अभिलेखों एवं प्रासंगिक अधिसूचना द्वारा अधिसूचित नियमावली में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त होती है तो विधि के अनुसार दिए गए स्वीकृति की समीक्षा करते हुए विभाग द्वारा उसे रद्द किये जाने की कार्रवाई की जा सकेगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 9780

पटना, दिनांक:- 12/12/2025

प्रतिलिपि:-निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना/ श्री रंजन कुमार सिंह, वरीय तकनीकी निदेशक NIC,पटना/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आवश्यक कार्रवाई की जाय।

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक-06 / स्क्रेपिंग(RVSF)-11-03 / 2025 9780

प्रेषक,

आशुतोष द्विवेदी, भा.प्र.से.
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

Kalahanu Bothra Manufacturers Pvt. Ltd.
Add.- Kala Bhawan Beni Babus Garden,
Rajendrapath, Laljitola, Dist.-Patna
Email-rahulbothra12@gmail.com

पटना, दिनांक:- 12/12/2025

विषय:- पटना जिला में रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा की स्थापना हेतु औपबंधिक स्वीकृति दिए जाने के संबंध में।

प्रसंग:- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0-653 (अ) दिनांक-23.09.2021

महाशय,

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0-653 (अ) दिनांक-23.09.2021 द्वारा अधिसूचित मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 को परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-659 दिनांक-01.02.2022 द्वारा यथास्थिति बिहार राज्य में लागू किया गया है।

रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा की स्थापना हेतु आपके आवेदन के साथ समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों के आधार पर उपर्युक्त अधिसूचना में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत पटना जिले हेतु औपबंधिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है। यह स्वीकृति उक्त नियमावली के नियम-05 एवं 06 तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना की अधिसूचना सं0-14 दिनांक-12.05.2022 में निहित शर्तों के अधीन दी जाती है।

आपके द्वारा समर्पित अभिलेखों एवं प्रासंगिक अधिसूचना द्वारा अधिसूचित नियमावली में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त होती है तो विधि के अनुसार दिए गए स्वीकृति की समीक्षा करते हुए विभाग द्वारा उसे रद्द किये जाने की कार्रवाई की जा सकेगी।

विश्वासभाजन,
10-12-25

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।